

By e-mail
622210223

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(या)(246)/डीएलबी/2014/6911-7250


दिनांक: 31-3-2023

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ
समस्त राजस्थान

विषय:- डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय अधिसूचना 9329 दिनांक 22.10.2021 एवं आदेश 20178 दिनांक 28.11.2022 एवं पत्र क्रमांक 6069-6360 दिनांक 27.03.2023 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश/पत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि विभागीय पत्र क्रमांक 6069-6360 दिनांक 27.03.2023 के क्रम में डेयरी बूथ आवंटन हेतु निश्चित दिनांक 04.04.2023 को स्थानीय निकाय विभाग समस्त राज0 में लॉटरी की प्रक्रिया सम्पूर्ण करते हुए प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इससे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।



(हृदिश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(क)(या)(246)/डीएलबी/2014/7251-7300

दिनांक: 31-3-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय आवासन एवं शहरी विकास विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, गोपालन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. प्रबन्ध निदेशक, आर.सी.डी.एफ. जे.एल.एन मार्ग, जयपुर।
7. उपायुक्त यातायात आयुक्तालय, जयपुर शहर, जयपुर।
8. उपनिदेशक (क्षे0), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार में स्थित नगरीय निकायो से सूचना संलग्न कर विभाग को भिजवाये।
9. प्रोग्रामर (आई.टी.सैल), निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी